क्रमांक 3261014/वि.स.2018/वचन पत्र/19

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल –462003
दूरभाष 2552646, 2552878, फैक्स 2552406
Email ID encwrbpl-mp@nic.in

भोपाल, दिनांक /02/2019

प्रति,

1. आयुक्त, काडा
2. मुख्य अभियंता,

....

जल संसाधन विभाग,

.............................(म0प्र0)

विषयः– वचन पत्र –2018 के संबंध में।

संदर्भः–1. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग का पत्र क्रं 2219/रा.यो.आ./2019 दिनांक 17.01.2019

2.म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग की टीपक्रं 64/20/लघु/31 दिनांक 24.01.2019

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के तारतम्य में राज्य योजना आयोग एवं जनजातीय कार्य विभाग का शासन से प्राप्त पत्र संलग्न कर विभागीय बिंदुओं को आगामी कार्ययोजना में शामिल करते हुए कार्यवाही करने हेतु प्राप्त हुआ है।

प्रकरण अति महत्वपूर्ण और समय–समय पर समीक्षा का है। अतएव संदर्भित पत्र (वचन पत्र) सहपत्र सहित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहपत्रः–उपरोक्तानुसार

हस्ता0/–
(विनोद कुमार देवड़ा)
अधीक्षण यंत्री (कार्य)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्रं 3261014/वि.स.2018/वचन पत्र/19 भोपाल दिनांक 6 /02/2019

प्रतिलिपिः–

6/02/019

वेब मैनेजर की ओर प्रदर्शित करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधीक्षण यंत्री (कार्य)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल (म.प्र.)

अति महत्वपूर्ण

राज्य योजना आयोग
मध्यप्रदेश

—0—

क्रमांक – 2219 /रा.यो.आ./2019 भोपाल, दिनांक – 17/01/2019

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, (जल संसाधन विभाग)
   मध्यप्रदेश शासन,
   समस्त विभाग,
   मंत्रालय, भोपाल

2. ~~समस्त विभागाध्यक्ष~~ (जल संसाधन)
   ~~मध्यप्रदेश शासन~~

विषयः– **"वचन–पत्र" के संबंध में।**

—0—

कृपया, विषयांतर्गत संलग्न "वचन–पत्र" का अवलोकन करने का कष्ट करें। वचन–पत्र में उल्लेखित बिंदुओं में से आपके विभाग से संबंधित बिंदुओं को कृपया आगामी कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुए, आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस संबंध में समय–समय पर समीक्षा की जावेगी। कृपया की गयी कार्यवाही से राज्य योजना आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(अनिरूद्ध मुकर्जी)
सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग, म.प्र.

पृ. क्रमांक – 2220 /रा.यो.आ./2019 **भोपाल, दिनांक – 17/01/2019**

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सलाहकार/सलाहकार, राज्य योजना आयोग म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ।

17/01/19
उप सचिव,
राज्य योजना आयोग, म.प्र.

C.E.(I.S.)		S.E. (A)
C.E.-(N.M.)		C.P.O.
C.E.(P)		E.E. (V)
C.E.(Major)		E.E. (B)
C.E.(W)	Sr.P.A.	S.A. (EDP)

E-in-C.

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल म.प्र.
03 JAN 2019

जल संसाधन

3.1 सिंचाई क्षमता आगामी पांच वर्षों में 65 लाख हैक्टेयर तक बढ़ायेंगे।

3.2 सिंचाई प्रबंध में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तथा सिंचाई समितियों को सक्षम बनायेंगे।

3.3 नहरों का विस्तार, लाइनिंग करेंगे, जल की क्षति रोकेंगे।

3.4 सिंचाई दरों को पांच साल तक स्थिर रखेंगे। सिंचाई जल देयकों की दरों का युक्तियुक्त बनायेंगे।

3.5 प्रत्येक जिले में नई सिंचाई परियोजनाओं को विकसित करेंगे।

3.6 सिंचाई हेतु बांधों के अतिरिक्त पानी से तालाबों का भराव करेंगे।

3.7 चंदेल कालीन एवं अन्य प्राचीन तालाबों का गहरीकरण, सौन्दर्यीकरण करेंगे।

3.8 वर्षों से अधूरी पड़ी प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करायेंगे।

3.9 MICRO MINOR सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में योजना बनाकर मंजूर करायेंगे।

3.10 जल संसाधन विभाग को और गतिशील और प्रभावी बनाने के लिए कैडर रिव्यू किया जायेगा।

3.11 **जल भूमि के संरक्षण एवं अधिकार- ये कानून भूमि अधिग्रहण/ वन अधिकार जैसा बनायेंगे।**

प्राकृतिक जल स्त्रोत जैसे नदी, तालाब झरने एवं प्राकृतिक नालों की भूमि के संरक्षण की आवश्यकता है, जल भराव की भूमि संरक्षित नहीं किये जाने पर भविष्य के लिए नागरिकों के लिए जल की आपूर्ति करना असंभव हो जायेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित जल स्त्रोत तथा शासकीय अनुदान से निर्मित निजी क्षेत्र के जल स्त्रोतों की भूमि को संरक्षित करने के उपाय किये जायेंगे तथा प्राकृतिक जल स्त्रोतों के समीप वर्षों से निवास करने वाली जल से संबंधित जातियों को उनके जल भूमि के उपयोग के मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कानून बनायेंगे।

मध्यप्रदेश शासन,
जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 43 /समन्वय/2018/25-2 भोपाल, दिनांक:-21 जनवरी, 2019

प्रति,

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,भोपाल

विषयः- वचन पत्र-2018 मे जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत उल्लेखित बिन्दुओ पर कार्यवाही किये जाने बावत।

--00--

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 17.12.2018 को ली गई बैठक में निर्देशित किया गया था कि वचन पत्र-2018 में उल्लेखित बिन्दुओ पर कार्यवाही प्राथमिकता से की जावें।

वचन पत्र-2018 में जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत निम्न बिन्दु पर कार्यवाही आपके विभाग द्वारा की जाना है:-

क्रमांक	वचन पत्र का बिन्दु क्रमांक	विषय-वस्तु
01	25.55	आदिवासी क्षेत्रों के, आदिवासियों के प्रत्येक खेत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेंगे।

कृपया उक्त बिन्दु पर नियमानुसार कार्यवाही कराने का अनुरोध है।

उप सचिव
म0प्र0शासन
जनजातीय कार्य विभाग

पृ0क्रमांक /समन्वय/2018/25-2 दिनांक:- जनवरी, 2019

प्रतिलिपिः-

सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।

उप सचिव
म0प्र0शासन
जनजातीय कार्य विभाग

प्रमुख अभियंता

कृपया उक्त बिन्दु पर अपना अभिमत शीघ्र प्रेषित करने हेतु अनुरोध है।

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग भोपाल म.प्र.
025 JAN 2019

C.E.(N.M.)		C.P.O.
C.E.(P)		E.E.(V)
S.E.(Major)		E.E.(B)
S.E.(W)	Sr.P.A.	S.A.(EDP)

कक्ष.................

C:\Users\...\Desktop\Pratibha\latter

EE II 326